संख्या-1/2022/आई/216333/2022-23-4099(099)/25/2022

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,

लोक निर्माण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 21/09/2022**

विषय-श्री राज कुमार, अवर अभियंता(सि0) की पत्नी श्रीमती उपासना देवी की चिकित्सा पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक-878व्यघ/20008व्यघ/22 दिनांक 05.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 सरकारी सेवकों की चिकित्सा परिचर्या नियमावली 2011, चिकित्सा परिचर्या(प्रथम संशोधन)नियमावली, 2014 एवं चिकित्सा परिचर्या(द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत श्री राज कुमार, अवर अभियंता(सि0) द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती उपासना देवी के कैलाश हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टिट्यूट, नोएडा में दिनांक 12.10.2021 से दिनांक 29.10.2021 तक कराये गये चिकित्सा पर हुए व्यय रू0 8,79,770/- (रू0 आठ लाख उन्यासी हजार सात सौ सत्तर मात्र) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी(चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 अद्यतन संशोधित में निहित प्राविधानों के अनुसार एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ की दरों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हाथरस के पत्रांक-मु0चि0अ0/चि0प्र0पूर्ति/2022/0064772/हाथरस-5123, दिनांक 22.03.2022 द्वारा भुगतान हेतु संस्तुत धनराशि रू0 7,99,714/-(रू0 सात लाख निन्यान्बे हजार सात सौ चौदह मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- उक्त चिकित्सा दावे से सम्बन्धित बिल/बाउचर्स,अनिवार्यता प्रमाण पत्र आदि समस्त अभिलेख मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावे का भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

सम्बन्धित बिलों का भुगतान इसके पूर्व नहीं हुआ है। प्रश्नगत चिकित्सा दावे का भुगतान करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जाय कि यदि उक्त चिकित्सा हेतु कोई चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत किया गया हो तो उसे समायोजित कर लिया जाय।

3- उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-54 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-001-निदेशन और प्रशासन-03-निदेशन-00-49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ0प्र0 प्रयागराज।
2- नोडल अधिकारी बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक,लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता, आगरा क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हाथरस।
6- अधीक्षण अभियन्ता, अलीगढ़ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, अलीगढ़।
7- अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हाथरस।
8- श्री राज कुमार, अवर अभियंता (सिविल), प्रांतीय खण्ड, लो0नि0वि0 हाथरस।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।